सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र.-सी-6-6-2002-3-एक भोपाल, दिनांक, 30 अगस्त 2002

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र., ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों का निलंबन, निर्वाह भत्ता, निलंबन आदेश के विरुद्ध अपील तथा निलंबन से बहाली एवं निलंबित शासकीय सेवक की गोपनीय चरित्रावली में मतांकन-इकजायी निर्देश.

अनुशासनिक/अपराधिक मामलों में शासकीय सेवकों को निलंबित करने के प्रावधान मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 (जिसे अत्रपश्चात् "नियम 1966" लिखा जावेगा) के नियम 9 में दिये गये हैं. साथ ही, इस विषय में मार्गदर्शी निर्देश सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-1 के खण्ड 13 की कण्डिका 8 में दिये गये हैं. सामान्य प्रशासन विभाग ने "शासकीय कर्मियों को दण्ड-विभागीय जांच/अभियोजन स्वीकृति से संबंधित महत्वपूर्ण आदेशों का संकलन" भी पृथक् से समस्त विभागों/प्राधिकारियों को प्रसारित किया है.

शासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से शासकीय सेवकों के निलंबन तथा इससे संबंधित अन्य विषयों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संलग्न परिशिष्ट में दर्शित निर्देशों को निरस्त करते हुए, राज्य शासन नये इकजाई निर्देश निम्नानुसार प्रसारित करता है :—

एक—शासकीय सेवकों का निलंबन-नियमों के प्रावधान

(i) "नियम 1966" के नियम 9 के उपनियम (1) (क) एवं (ख) के प्रावधान के अनुसार शासकीय सेवक को, जहां उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हो या अनुशासनिक कार्यवाही लंबित हो अथवा जहां उसके विरुद्ध किसी भी दांडिक अपराध के संबंध में कोई मामला अन्वेषण, जांच या परीक्षण के अधीन हो, निलंबित किया जाएगा.

उपरोक्त नियम 9 के उपनियम (1) के प्रथम परन्तुक में यह भी प्रावधान है कि शासकीय सेवक को सदैव निलंबित किया जायेगा जबकि भ्रष्टाचार या नैतिक पतन में अंतर्वलित दाण्डिक अपराध में उसके विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया हो.

(ii) नियम 9 के उपनियम (2) के अनुसार कोई शासकीय सेवक नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश द्वारा :—

(क) उसके निरुद्ध किये जाने के दिनांक से, यदि उसे या तो किसी दाण्डिक आरोप पर या अन्यथा अड़तालीस घंटे से अधिक कालावधि के लिये अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया हो;

(ख) उसे दोष-सिद्ध ठहराये जाने के दिनांक से, यदि वह, किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराये जाने की दशा में, अड़तालीस घंटे से अधिक अवधि के लिये दण्डादिष्ट किया गया हो, और ऐसी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप तत्काल पदच्युत न कर दिया गया हो या सेवा से हटा न दिया गया हो या अनिवार्यत: सेवानिवृत्त न कर दिया हो;

निलंबित कर दिया गया समझा जायेगा.

उपरोक्त खंड (ख) में निर्दिष्ट की गई अड़तालीस घंटे की कालावधि की संगणना दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास के प्रारंभ से की जायेगी और इस प्रयोजन के लिये कारावास की विच्छिन्न कालावधियों, यदि कोई हो, संगणित की जायेगी.

दो—निलंबन-सामान्य पुस्तक परिपत्र में निहित सिद्धांत

शासकीय सेवकों के निलम्बन के विषय में "सामान्य पुस्तक परिपत्र" भाग-एक क्रमांक 13 में निहित प्रावधान निम्नानुसार हैं :—

(i) किसी ऐसे शासकीय सेवक को, जिसके विरुद्ध विभागीय जांच की जाना हो, सामान्यत: निलंबित नहीं किया जाना चाहिये. जब आरोप गंभीर स्वरूप के हों, या जब प्रशासनिक दृष्टि से या अन्य सुनिश्चित कारणों से ऐसा करना आवश्यक/अपरिहार्य हो, तभी उसे निलंबित किया जाना चाहिये.

(ii) निलंबन आदेश भूतलक्षी प्रभाव से नहीं दिया जा सकता क्योंकि जब तक सेवा शर्तों संबंधी नियमों में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई हो, तब तक ऐसा करना अवैध है.

(iii) यदि संबंधित शासकीय सेवक साक्ष्य में अंत:क्षेप कर रहा है या उसकी उपस्थिति से जांच पर अन्यथा प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो, तो निलंबन के बदले उसे अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने पर विचार किया जाना चाहिये.

(iv) किसी ऐसे शासकीय सेवक को भी, जिसके विरुद्ध विचारण के पूर्व किसी अपराध का अन्वेषण किया जा रहा हो या जिसके विरुद्ध कोई आपराधिक आरोप के लिये कार्यवाही लंबित हो तथा जिसे अड़तालीस घण्टों से अधिक अवधि का कारावास दिया गया हो, इस आशय के विनिर्दिष्ट आदेश जारी करके निलंबित किया जाना चाहिये, बशर्ते कि अन्वेषण या विचारण प्रारंभ हो गया हो या उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप या की कोई कार्यवाही उसके शासकीय कृत्य से संबंधित हो या उसके द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में उलझन पड़ने की संभावना हो या उसमें नैतिक अधमता अंतर्निहित हो.

(v) यदि कोई शासकीय सेवक, किसी आपराधिक आरोप पर या अन्यथा अड़तालीस घण्टों से अधिक की अवधि के लिये, अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया हो, तो उसे नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश द्वारा उसके निरोध या कारावास की तारीख से निलंबित किया गया समझा जाएगा. किन्तु जब किसी शासकीय सेवक पर अधिरोपित कोई शास्ति अपील या पुनर्विलोकन में या न्यायालय के निर्णय द्वारा अपास्त कर दी गई हो तथा मामला आगे जांच के लिये भेजा गया हो, तो ऐसे शासकीय सेवक को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसकी बर्खास्तगी, सेवा से हटाये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तारीख से नियम 9 के उपनियम (3) तथा (4) के प्रावधानों के तहत निलंबित किया गया समझा जाएगा तथा वह निलंबनाधीन बना रहेगा.

(vi) लोकायुक्त संगठन अथवा राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवकों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरणों में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित शासकीय/अर्द्ध-

शासकीय सेवक को नियम 9 (1) के प्रथम परन्तुक के प्रावधान के अनुसार बिना किसी अपवाद के तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जावेगा.

तीन—निलंबन-सक्षम प्राधिकारी

(1) "नियम, 1966" के नियम 9 (1) में उल्लेखित परिस्थितियों में शासकीय सेवक के निलंबन के लिये निम्न प्राधिकारी सक्षम हैं:—

(i) निबुक्ति प्राधिकारी, या

(ii) ऐसा कोई प्राधिकारी जिसके कि अधिनस्थ वह (नियुक्ति प्राधिकारी) हो, या

(iii) नियम 2 (घ) में वर्णित "अनुशासनिक प्राधिकारी", या

(iv) राज्यपाल द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सशक्त किया गया कोई अन्य प्राधिकारी.

(2) उपरोक्त् के अलावा, कोई अन्य प्राधिकारी शासकीय सेवक को निलंबित करने के लिये सक्षम नहीं है.

(3) नियम 9 (1) के परन्तुक में यह भी प्रावधान है कि यदि निलंबन का आदेश नियुक्ति प्राधिकारी से निचले स्तर के किसी प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो तो ऐसे प्राधिकारी को तत्क्षण उन परिस्थितियों की, जिसमें कि आदेश दिया गया था, की रिपोर्ट नियुक्ति प्राधिकारी को करना चाहिये. यह भी स्पष्ट हो कि ऐसे अधिकारी, जो निलंबन के लिये सक्षम नहीं हैं, द्वारा निलबंन की कार्यवाही करने के उपरांत कार्योत्तर स्वीकृति चाही जाती है, यह कार्यवाही गलत है. इसी प्रकार इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये कि निलंबन केवल भविष्यलक्षी प्रभाव से ही हो सकता है, भूतलक्षी प्रभाव से निलंबन का प्रावधान नियमों में नहीं है, अतएव यदि किसी के द्वारा ऐसे निलंबन आदेश की "पुष्टि" भी की जाती है तो वह भी अवैध है.

सा.प्र.वि. का परिपत्र क्र. सी.-6-3-85-3-1, दि. 21-1-86.

चार—अपेक्षित अनुशासनिक कार्यवाही निलंबन

(i) जहां किसी शासकीय सेवक को नियम 9 (1) (क) के अन्तर्गत अर्थात् उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित होने या लंबित होने के आधार पर निलंबित किया जाता है, तो निलंबन आदेश में, ऐसे आदेश के स्पष्ट कारण दर्शाये जाना चाहिये. उपरोक्त कारण अस्पष्ट तथा अनिश्चित (Vague and unprecise) नहीं होना चाहिये बल्कि स्पष्ट तथा सुनिश्चित (Clear and Specific) होना चाहिये.

(ii) जहां किसी शासकीय सेवक को अपेक्षित अनुशासनिक कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में निलंबित किया जाता है तो:—

सा.प्र.वि. का परिपत्र क्र. 12-38-91-3-1, दिनांक 7-6-91 तथा क्र. सी-6-2-92-3-1, दिनांक 20-5-92.

(क) यदि निलंबन आदेश, राज्य सरकार से निचले स्तर के सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो तो, संबंधित शासकीय सेवक को निलंबन आदेश जारी होने की तारीख से 45 दिन के अंदर आरोप पत्रादि जारी किया जाना आवश्यक है.

यदि किन्हीं कारणों से उक्त 45 दिन की समयावधि में आरोप पत्रादि की प्रतिलिपि जारी किया जाना संभव नहीं हो तो, अनुशासनिक प्राधिकारी को उक्त कालावधि समाप्त होने के पूर्व राज्य शासन से उक्त कालावधि बढ़ाने के लिये लिखित आदेश नियम 9 (2-ख) के तहत् प्राप्त कर लेना चाहिये. निलंबन की कालावधि, निलंबन के आदेश के दिनांक से 90 दिन की कालावधि से परे किसी भी दशा में नहीं बढ़ाई जा सकती है.

- उपरोक्त से अन्यथा स्थिति में निलंबन आदेश प्रतिसंहृत (Revoke) हो जावेगा.

(ख) यदि निलंबन आदेश, राज्य शासन स्तर से दिया गया हो तो, संबंधित शासकीय सेवक को निलंबन आदेश की तारीख से 90 दिन की कालावधि के भीतर आरोप पत्रादि की प्रतिलिपि का जारी किया जाना आवश्यक है. अन्यथा स्थिति में निलंबन आदेश प्रतिसंहृत हो जावेगा.

(ग) उपरोक्त कंडिका (क) एवं (ख) में दर्शित स्थिति में ऐसे शासकीय सेवक के संबंध में, जिसका निलंबन आदेश प्रतिसंहृत किया गया है, सक्षम प्राधिकारी यदि वह ऐसा करना समिचीन समझे, नियम 14 (4) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार शासकीय सेवक को आरोप पत्रादि की प्रतिलिपि जारी किये जाने के पश्चात् उसे निलंबित कर सकेगा.

पांच—लोक आयुक्त संगठन/राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के अधियोजन के प्रकरणों में शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवकों का निलम्बन

सा.प्र.वि. का परिपत्र क्र. एफ. 21-72-92-1-10, दिनांक 27-5-96.

(1) लोक आयुक्त/राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के भ्रष्टाचार संबंधी मामलों में शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवक के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत हो जाने पर संबंधित शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवक को "नियम, 1966" के नियम 9 (1) के प्रावधान के तहत तत्काल निलंबित कर दिया जाना चाहिये. इसमें किसी भी प्रकार का विलंब नहीं किया जाना चाहिये.

छै : —तदर्थ रूप से नियुक्त शासकीय सेवक-निलंबन

सा.प्र.वि. का परिपत्र क्र. 6-1-1007-78-3-एक, दिनांक 7-4-78.

कई बार शासकीय सेवकों को भरती नियमों में निर्धारित पदोन्नति/नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया के अनुसरण में विलंब लगने के कारण शासकीय आवश्यकता को दृष्टिगत रख उच्च पद पर तदर्थ रूप से पदोन्नत/नियुक्त कर दिया जाता है. यदि ऐसे शासकीय सेवक को आपराधिक/अनुशासनात्मक मामले में निलंबित किया जाना आवश्यक हो तो, उसे उस पद पर प्रत्यावर्तित कर देना चाहिये, जिस पद से उसे उच्च पद पर तदर्थ रूप से पदोन्नत/नियुक्त कर दिया गया था. ऐसी कार्यवाही इसलिये आवश्यक है कि तदर्थ रूप से किसी शासकीय सेवक की पदोन्नति/नियुक्ति उच्च पद पर वास्तविक रूप से कार्य करने के लिये की जाती है. उसे निलंबन में रखने पर वह उस पद का कार्य नहीं कर सकेगा. इस स्थिति में उसको निलंबन की अवधि में तदर्थ रूप से पदोन्नत/नियुक्त किये गये पद पर रखना शासकीय हित में नहीं होगा.

सात—अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शासकीय सेवक का निलंबन

सा.प्र.वि. का परिपत्र क्र. 62-1464-1 (3) 79; दिनांक 28-1-80 तथा क्र. सी-6-6-2000-3-एक, दिनांक 16-8-2000.

ऐसे शासकीय सेवक, जो अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं, को विभागीय जांच के दौरान निलंबन में रखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से वे निलंबन भत्ते आदि की मांग करते हैं. ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अधीन शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अविलंब प्रारंभ की जावे. अनधिकृत अनुपस्थिति के पश्चात् जैसे ही ऐसा शासकीय सेवक कार्य पर उपस्थित हो, उसे उसी दिनांक से निलंबित किया जाय तथा अनुशासनिक कार्यवाही का निराकरण अधिकतम 6 माह के अंदर किया जाय.

आठ—निलंबन अवधि में शासकीय सेवक का मुख्यालय

सामान्यत: निलंबित किये जा रहे/निलंबित शासकीय सेवक का मुख्यालय निलंबन के दौरान अंतिम कर्तव्य स्थान पर ही निर्धारित किया जाना चाहिये. सक्षम प्राधिकारी, समुचित आधार पर, निलंबित किये जा रहे/निलंबित शासकीय सेवक का मुख्यालय परिवर्तन कर सकता है. मुख्यालय परिवर्तन की स्थिति में वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 1312-चार-आर-दो-71, दिनांक 15-6-71 में दिये गये दिशा-निर्देश के अनुसार निलंबित शासकीय सेवक को नियमानुसार "स्थानांतरण यात्रा भत्ते" की पात्रता होगी. यदि निलंबित शासकीय सेवक के निवेदन पर मुख्यालय में परिवर्तन किया जाता है तो उसे उक्त स्थानांतरण यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी.

नौ—निलंबित शासकीय सेवक-जीवन निर्वाह भत्ता

(1) निलंबित शासकीय सेवक को "जीवन निर्वाह भत्ता" मूलभूत नियम 53 के प्रावधान के अनुसार देय होता है. मूलभूत नियम 53 (1) के (ii) के प्रावधान निम्नानुसार हैं:—

(क) उस अवकाश वेतन के समतुल्य जीवन निर्वाह भत्ता जो शासकीय सेवक अर्द्ध औसत वेतन पर होने की दशा में प्राप्त करता और उस पर देय महंगाई भत्ता यदि इस प्रकार के वेतन पर देय हो:

परन्तु यह कि निलम्बन अवधि तीन माह से अधिक होने की स्थिति में वह प्राधिकारी जिसने निलम्बनादेश दिया था, प्रथम तीन मास पश्चात् किसी भी अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ते की राशि में निम्नानुसार परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा—

(i) यदि उसकी दृष्टि में निलंबन काल ऐसे कारणों से बढ़ा है जिसका सीधा संबंध उस शासकीय सेवक से नहीं है, तो ऐसे कारणों को लिपिबद्ध करते हुए प्रथम तीन माह के पश्चात् निर्वाह भत्ता 50 प्रतिशत से अनधिक किसी उचित राशि तक बढ़ाया जा सकता है.

(ii) यदि उसकी दृष्टि में निलंबन काल ऐसे कारणों से बढ़ा है, जिसका सीधा संबंध उस शासकीय सेवक से है, तो ऐसे कारणों को लिपिबद्ध करते हुए प्रथम तीन माह के पश्चात् निर्वाह भत्ता 50 प्रतिशत से अनधिक किसी समुचित राशि तक कमी की जा सकती है.

(iii) महंगाई भत्ते की दर उपरोक्त (i) तथा (ii) के अनुसार बढ़ी अथवा घटी हुई, जैसी भी स्थिति हो, निर्वाह भत्ते की राशि पर आधारित होगी.

(ख) (i) अन्य कोई क्षतिपूर्ति भत्ते, जो समय-समय पर शासकीय सेवक को, उसके निलंबन की तारीख पर वेतन के साथ देय थे, वे तभी देय हो सकेंगे यदि उनकी शर्तें निलंबन काल में भी पूरी होती हों:

परन्तु जब तक उक्त प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो जाय कि क्षतिपूर्ति भत्ते के उद्देश्य हेतु शासकीय सेवक पर व्यय भार निरंतर बना हुआ है, शासकीय सेवक को उन क्षतिपूर्ति भत्तों की पात्रता नहीं होगी.

(ii) उपनियम (i) अध्यधीन कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि शासकीय सेवक यह प्रमाण-पत्र नहीं दे कि वह किसी भी अन्य स्थापना, व्यापार, व्यवसाय या वोकेशन में कार्यरत नहीं रहा है.

(2) निलंबित शासकीय सेवक को निर्वाह भत्ते के भुगतान करने में किसी भी प्रकार का विलंब नहीं किया जाना चाहिये. यदि किसी मामले में यह पाया जाए कि निलंबित शासकीय सेवक को समय पर निर्वाह भत्ते का भुगतान नहीं हो रहा है तो जिम्मेदार अधिकारी को समुचित दंड दिया जाए. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जीवन निर्वाह भत्ते से निर्धारित कटौती को छोड़कर अन्य किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है. निर्धारित मुख्यालय से बिना अनुमति प्राप्त किये अनुपस्थित रहने के कारण निर्वाह भत्ता नहीं रोका जा सकता है. अपितु इस हेतु विभागीय जांच में अतिरिक्त आरोप जोड़कर कार्यवाही की जा सकती है.

सा.प्र.वि. का परिपत्र क्र. 21709-सी-आर-260-एक (3) 68, दिनांक 26-9-68.

दस—जीवन निर्वाह भत्ते से वसूलियां

वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 105-2536-चार-आर-5, दिनांक 23-12-59 सहपठित ज्ञाप क्रमांक 2107-1370-चार-आर-5, दिनांक 28-9-60, 2638-2077/नि. 5, दिनांक 14-12-61 और ज्ञाप क्रमांक 224-4-नि. 3-सी. आर. 1-एफ 15 (सी)-5-73, नि. 3, दिनांक 29-1-75 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार निलंबित शासकीय सेवक को प्राप्त

होने वाले ''जीवन निर्वाह भत्ते'' से की जाने वाली वसूलियों का विवरण निम्नानुसार है:—

(अ) अनिवार्य वसूलियां :

(1) आयकर, सरचार्ज सहित,
(2) निलंबित शासकीय सेवक द्वारा धारित शासकीय आवास का लायसेंस शुल्क
(3) शासन से प्राप्त किये गये ऋण/अग्रिम, (ऐसी दर से जो विभाग प्रमुख उचित समझे)

(ब) ऐच्छिक वसूलियां (शासकीय सेवक की सहमति या उसके निवेदन पर):

(1) डाक जीवन बीमा,
(2) सहकारी साख समिति तथा सहकारी भंडार की देय राशियां
(3) सामान्य भविष्य निधि से लिये गये अग्रिम की वसूली

(स) जीवन निर्वाह भत्ते से निम्नलिखित राशियों की वसूली नहीं की जाना चाहिये :

(1) सामान्य भविष्य निधि में अंशदान
(2) कोर्ट अटेचमेंन्ट
(3) शासकीय हानि की वसूली.

ग्यारह—निलंबन के विरुद्ध अपील

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 23 (तीन) में निलंबन आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी को अपील किये जाने का प्रावधान है. किन्तु उपुर्यक्त नियमों के नियम 25 में निहित प्रावधानानुसार ऐसी अपील, उस दिनांक से जिसको कि अपीलार्थी को उस आदेश की, जिसके कि विरुद्ध अपील की गयी हो, प्रतिलिपि दी गयी है, 45 दिन की कालावधि के भीतर की गई हो, ग्रहण की जाएगी. परन्तु उक्त कालावधि समाप्त होने के पश्चात् अपीलीय प्राधिकारी समय पर अपील न किये जाने के पर्याप्त कारणों से समाधान होने पर अपील ग्रहण कर सकेगा.

नियम 12(2) (क) एवं (ख) के अनुसार यदि राज्यपाल के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी अन्य विभाग के अधिकारी को लघु शास्ति के अधिकार प्रत्यायोजित कर अनुशासनिक प्राधिकारी नियुक्त किया गया हो तो उसके आदेश के विरुद्ध अपील, अपने विभागाध्यक्ष या अपीलीय प्राधिकारी, जो भी उक्त अनुशासनिक प्राधिकारी से वरिष्ठ हो, को कर सकेगा.

बारह—निलंबन से बहाली

(1) उपरोक्त नियमों के नियम 9 (1) के खण्ड (क) एवं (ख) के अधीन किये गये निलंबन को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतिसंहृत किया जा सकेगा, यहि वह ऐसा उचित समझे.

सा.प्र.वि. का परिपत्र क्र. सी-6-10-99-3-एक, दिनांक 30-9-99.

(2) नियम 9 (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन भ्रष्टाचार या नैतिक पतन में अंतर्वलित दाण्डिक अपराध में शासकीय सेवक के विरुद्ध चालान प्रस्तुत होने पर किया गया निलंबन आदेश उपर्युक्त नियमों के नियम 9 (5) (घ) के परन्तु के प्रावधानानुसार तब तक प्रतिसंहृत नहीं किया जाएगा जब तक उसके बारे में सरकार द्वारा कारण स्पष्ट करते हुए आदेश पारित नहीं कर दिया जाये. इस प्रकार की बहाली अपवादिक प्रकरणों में ही की जाना चाहिये तथा निलंबन समाप्त करने के ठोस कारणों को अंकित किया जाना चाहिये. इस प्रकार के प्रकरणों (विशेषकर लोक आयुक्त, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अनुशंसित मामलों में) बहुत ही आपवादिक प्रकरणों में अभिलिखित किये गये ठोस कारणों के आधार पर ही निलंबन समाप्त किया जाना चाहिये. यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि अपचारी

शासकीय सेवक साक्ष्य प्रभावित करने की स्थिति में न हो. शासकीय सेवक के इस प्रकार के निलंबन आदेश को प्रतिसंहृत करने के अधिकार राज्य सरकार को ही है, अन्य किसी अधिकारी को नहीं.

(3) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 501-2883-1-3-78, दिनांक 15-12-79 की कंडिका 3 में निर्देश दिये गये थे कि जब किसी शासकीय सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप के संबंध में, जिसमें शासकीय सेवक का नैतिक अध:पतन निहित है, प्रथम न्यायालय द्वारा उसे दोषमुक्त करने के निर्णय के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय में अपील दायर की जाए, तो सामान्यतया उस शासकीय सेवक का निलंबन तब तक समाप्त न किया जाए, जब तक कि अपील में भी उसे दोषमुक्त घोषित नहीं किया जाता है.

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त उक्त निर्देश (3) को निरस्त करते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि आपराधिक प्रकरण में यदि किसी शासकीय सेवक को विचारण न्यायालय द्वारा पूर्णत: दोषमुक्त कर दिया जाता है तो संबंधित सेवक को बहाल किये जाने की कार्यवाही तत्काल की जावे, भले ही उक्त आदेश के विरुद्ध शासन द्वारा अपीलीय न्यायालय में अपील की जा रही हो अथवा कर दी गयी हो.

तेरह—निलंबन की कालावधियों की गणना

निलंबित शासकीय सेवक का निलंबन आदेश प्रतिसंहृत होने पर निलंबन की कालावधियों की गणना के विषय में म. प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 23 में निम्नानुसार प्रावधान है:—

"आचरण से संबंधित जांच के लंबित रहने तक़, किसी शासकीय सेवक द्वारा निलंबन के अधीन बिताये गये समय की गणना अर्हक सेवा के रूप में तब ही की जाएगी जहां ऐसी जांच की समाप्ति पर, उसे पूर्ण रूप से दोष मुक्त कर दिया गया हो या निलंबन को पूर्णत: अनुचित ठहराया गया हो. अन्य मामलों में निलंबन की कालावधि की गणना तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे मामलों को शासित करने वाले नियम के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, उस समय अभिव्यक्त रूप से यह घोषित नहीं कर देता कि इसकी गणना उस सीमा तक की जाएगी, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी घोषित करें".

चौदह—निलंबित शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली में मतांकन

गोपनीय चरित्रावली में शासकीय सेवकों के द्वारा पूरे वर्ष में किये गये कार्यों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर उनके कार्यों के संबंध में टीप अंकित की जाती है. निलंबित शासकीय सेवकों द्वारा निलंबन अवधि में कोई शासकीय कार्य नहीं किया जाता है. अत: निलंबित अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन में सामान्यत: "कोई टीप नहीं" अंकित किया जाता है. निलंबित शासकीय सेवकों के गोपनीय प्रतिवेदन लिखते समय संबंधित अधिकारियों द्वारा इस आशय का भी मतांकन किया जाना चाहिए कि निलंबित शासकीय सेवक निलंबन की अवधि में मुख्यालय से बिना अनुमति के अनुपस्थित तो नहीं रहा है, तथा उसके द्वारा कोई व्यवसाय, नौकरी आदि तो नहीं की जा रही है. यदि उसके विरूद्ध विभागीय जांच चल रही है तो इस संबंध में टीप अंकित की जावे कि उसके द्वारा विभागीय जांच की कार्रवाई में सहयोग किया जा रहा है अथवा नहीं.

सा.प्र.वि. का परिपत्र क्र. 447-2223-98-1/9, दिनांक 9-3-99.

पन्द्रह—निलंबन अवधि में त्याग-पत्र

समस्त नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी यह ध्यान में रखें कि कोई भी शासकीय सेवक जिसके विरूद्ध विभागीय जांच लंबित है, द्वारा यदि त्याग-पत्र दिया जाता है तो उसका त्याग-पत्र तब तक स्वीकृत न किया जाय जब तक कि विभागीय जांच में अंतिम निर्णय न हो जाये.

सा.प्र.वि. का परिपत्र क्र. 1356-1650-1(3), दिनांक 3-6-67.

सा.प्र.वि. का परिपत्र क्र. सी-6-8-99-3-एक, दिनांक 30-6-99

सोलह—निलंबन अवधि में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

आपराधिक प्रकरण/विभागीय जांच लंबित होने की स्थिति में यदि संबंधित शासकीय सेवक को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति नहीं दी जाती है तो वह शासकीय सेवा में रहेगा और उसे पूर्ण वेतन अथवा निलंबन की दशा में निलंबन भत्ता दिया जाना होगा. यदि दोषमुक्त हो जाता है तो उसे निलंबन अवधि के लाभ भी देने पड़ सकते हैं. अनिच्छा से शासकीय सेवा करने वाला व्यक्ति अपना कर्तव्य भी पूर्ण निष्ठा तथा उत्तरदायित्व से नहीं करता. दूसरी ओर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार कर ली जाने पर उसे अनंतिम पेंशन देय होगी. यह पेंशन आपराधिक प्रकरण/विभागीय जांच में दोषसिद्ध होने पर रोकी जा सकेगी. पेंशन रोकने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि शासन को शासकीय सेवक के आरोपित कृत्य के धनहानि ही हो. कदाचरण यदि गंभीर प्रकृति का है तो उसकी पेंशन रोकने की कार्यवाही की जा सकती है. इस स्थिति में यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार की जाती है तो यह अनुचित नहीं होगा. इसमें कोई विधिक बाधा भी नहीं होगी. दंडित किये जाने पर देय पेंशन, पेंशन नियमों के प्रावधानों के तहत मंत्रिपरिषद के आदेश प्राप्त कर रोकी जा सकेगी. प्रकरण लंबित रहने की अवधि में पेंशन नियमों के नियम 9(4) के प्रथम परन्तुक के प्रावधानों पर केवल अनंतिम पेंशन निर्धारित की जा सकेगी.

अतएव ऐसे शासकीय सेवक द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार करने हेतु यदि आवेदन-पत्र दिया जाता है तो उक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जावेगी.

कृपया इन निर्देशों का समुचित रूप से पालन करें, साथ ही, इन निर्देशों से अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी अवगत करावें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से, तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(एम. के. वर्मा)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

पृष्ठांकन क्र.-सी-6-6-2002-3-एक

भोपाल, दिनांक, 30 अगस्त 2002

प्रतिलिपि :

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल
2. सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल
3. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर महालेखाकार, म. प्र., ग्वालियर की ओर पृष्ठांकन हेतु.
6. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री मंत्रालय, भोपाल
7. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर.
8. निज सचिव/निज सहायक, मुख्यमंत्री/माननीय मंत्री/माननीय राज्यमंत्री, म. प्र.
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल

11. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर
12. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल
14. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, म. प्र. भोपाल
15. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, म. प्र. भोपाल
17. उप सचिव, मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष-7 (1), 7 (2) एवं कक्ष 7 (3), मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र. मंत्रालय, भोपाल.
18. अवर सचिव, म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय
19. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, भोपाल
20. अध्यक्ष, म. प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल
21. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
(के. एल. दीक्षित)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.